


आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री नारायण सिंह, वरिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी स्थित भीमताल का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री नारायण सिंह, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी स्थित भीमताल	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	जनहित

श्री नारायण सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री नारायण सिंह का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार बर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-कृ०नि०/ 1611 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/06/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री नारायण सिंह, वरिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी स्थित भीमताल।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नारायण सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण को इस आशय से कि श्री नारायण सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/भिकियासैण।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री राम सिंह मेहरा, वरिष्ठ सहायक कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री राम सिंह मेहरा, वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग	जनहित


श्री राम सिंह मेहरा को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री मेहरा का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार बत्ती)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/1612 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/06/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री राम सिंह मेहरा, वरिष्ठ सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री राम सिंह मेहरा को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बेरीनाग को इस आशय से कि श्री राम सिंह मेहरा की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/बेरीनाग।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री आशीष कुमार, वरिष्ठ सहायक कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून का स्थानान्तरण सुगम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल में स्वयं के अनुरोध के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री आशीष कुमार, वरिष्ठ सहायक	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर	स्वयं के अनुरोध पर

श्री आशीष कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री आशीष कुमार का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध के आधार पर किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार शर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-क०नि०/ 1613 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/6/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री आशीष कुमार, वरिष्ठ सहायक कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
2. स्थापना पटल सहायक, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि श्री आशीष कुमार को अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित 07 दिन के भीतर कार्यमुक्त की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर को इस आशय से कि श्री आशीष कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, देवप्रयाग।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय।
8. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री अर्जुन सिंह, वरिष्ठ सहायक कार्यालय अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री अर्जुन सिंह, वरिष्ठ सहायक	अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर	जनहित

श्री अर्जुन सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री अर्जुन सिंह का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार वानी)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/1614 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/6/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री अर्जुन सिंह, वरिष्ठ सहायक द्वारा अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर को इस आशय से कि श्री अर्जुन सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को इस आशय से कि अधिनियमानुसार श्री अर्जुन सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-1, वर्ष 2018) में दी गई व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18-30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री जगत सिंह, वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर पौड़ी का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री जगत सिंह, वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर	कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून	जनहित

श्री जगत सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जगत सिंह का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(डॉ० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ०नि०/ 1615 /स्था०अनु०-1/लि०सं०/वार्षिक स्थाना०/2018-19 दिनांक 10/6/18
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री जगत सिंह, वरिष्ठ सहायक द्वारा सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर पौड़ी।
2. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर पौड़ी को इस आशय से कि अधिनियमानुसार श्री जगत सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, श्रीनगर।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।